

हरियाणा सरकार
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना

दिनांक 27 अक्टूबर, 2005

संख्या सी० सी० पी० (एन० सी० आर०) ई० डब्ल्यू०/जी० जी० एन०/23/सी०ए०/बी०/2005/1663.— पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र नियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट और इससे संलग्न योजना में दर्शाये गये, गांव सुलतानपुर जिला गुडगांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के ईर्द गिर्द दो किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये नियन्त्रित क्षेत्र घोषित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39), जिला गुडगांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के ईर्द गिर्द नियन्त्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी०टी०पी० (जी) 1374/2005, दिनांक 27 अप्रैल, 2005, के साथ पढ़ा जाये।

उत्तर: बिन्दु 'ए' अर्थात् गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 67 के उत्तर-पश्चिम कोने से प्रारम्भ करते हुये पूर्व की ओर गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 67, 66, 65, 64, 63, 62 तथा 61 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'बी' अर्थात् गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 61 के उत्तर-पूर्व कोने तक।

पूर्व: तत्पश्चात् दक्षिण की ओर बिन्दु 'बी' से गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 61 तथा 80 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'सी' अर्थात् गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 80 के दक्षिण-पूर्व कोने तक, तदोपरान्त पश्चिम की ओर गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 80 तथा 79 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'डी' अर्थात् गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 78 के दक्षिण-पूर्व कोने तक, उसके बाद दक्षिण की ओर गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 97, 112, 145 तथा 161 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ई' तक, जोकि गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 161 का दक्षिण-पूर्व कोना है।

दक्षिण: तत्पश्चात् पश्चिम की ओर बिन्दु 'ई' से गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 161 तथा 162 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'एफ' तक, अर्थात् गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 163 का दक्षिण-पूर्व कोना है, उसके बाद दक्षिण की ओर गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 176 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'जी' तक, जोकि इसी आयत का दक्षिण-पूर्व कोना है, तदोपरान्त पश्चिम की ओर गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 176, 175 तथा 174 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'एच' तक, अर्थात् गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 174 का दक्षिण-पश्चिम कोना है।

पश्चिम: तत्पश्चात् उत्तर की ओर बिन्दु 'एच' से गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 174, 165, 141, 133, 108, 101, 74 तथा 67 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक, जोकि प्रारम्भ का बिन्दु है।

शकुन्तला जाखू,
वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
Notification

The 27th October, 2005

No. CCP (NCR)/EW/GGN/23/CA/B/2005/1663.- In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act. 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the area within a distance of two kilometers around Government Primary School, Village Sultanpur, District Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purpose of the said Act, namely :-

Schedule

Schedule of boundaries of the controlled area around Government Primary School at Village Sultanpur (Hadbast No. 39), District Gurgaon to be read with Drawing No. DTP (G) 1374/05, dated the 27th April, 2005.

North: Starting from point 'A' i.e. North-West corner of rectangle No. 67 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39) towards East along Northern boundary of rectangle Nos. 67, 66, 65, 64, 63, 62 and 61 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39) upto point 'B' i.e. North-East corner of rectangle No. 61 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39).

East: Thence from point 'B' towards South along Eastern boundary of rectangle No. 61 and 80 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39) upto point 'C', i.e. South-East corner of rectangle No. 80 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39), thence towards West along Southern boundary of rectangle Nos. 80 and 79 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39) upto point 'D' i.e. South-East corner of rectangle No. 78 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39), thence towards South along Eastern boundary of rectangle Nos. 97, 112, 129, 145 and 161 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39) upto point 'E' i.e. South-East corner of rectangle No. 161 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39).

South: Thence from point 'E' towards West along Southern boundary of rectangle Nos. 161 and 162 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39) upto point 'F' i.e. South-East corner of rectangle No. 163 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39), thence towards South along Eastern boundary of rectangle No. 176 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39) upto point 'G' i.e. South-East corner of the same rectangle, thence towards West along Southern boundary of rectangle Nos. 176, 175 and 174 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39) upto point 'H' i.e. South-West corner of rectangle No. 174 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39).

West : Thence from point 'H' towards North along the Western boundary of rectangle Nos. 174, 165, 141, 133, 108, 101, 74 and 67 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39) upto point 'A' i.e. the point of start.

SHAKUNTALA JAKHU,
Financial Commissioner and Principal Secretary to Government
Haryana, Town and Country Planning Department.